न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या– 11, लखनऊ

पीठासीन अधिकारी– (सुरेश चन्द्र VI), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPLK010115552022

First Bail Application No./6774/2022

महेन्द्र उर्फ महेश, आयु लगभग 23 वर्ष, पुत्र–ओमीराम, निवासी–बीकानेर खाजा कॉलोनी, धक्का बस्ती, बिचवाल, थाना व जिला बीकानेर, राजस्थान।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. राज्य .....अभियोगी

एस.टी. नं0–975/2018
मु.अ.सं. 1052/2017
अं.धारा–395,397,412,34 भा0दं0सं0
थाना–चिनहट, जनपद– लखनऊ

दिनांक–18.08.2022

प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र उर्फ महेश** की ओर से मु.अ.सं. 1052/2017 धारा–395, 397, 412, 34 भा0दं0सं0 थाना–चिनहट, जनपद–लखनऊ के प्रकरण में धारा 439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विनोद कुमार के द्वारा दिनांक 25.12.2017 को थाना चिनहट में इस आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 25.12.2017 को समय 03:30 ए.एम. अंजान चोरों द्वारा वादी मुकदमा के घर का ताला तोड़कर अलमारी को उठाकर ले जाने लगे, आवाज सुनकर लोगों द्वारा उनका पीछा किया गया, बदमाश हवाई फायर करते हुए भाग गये। चोरों आलमारी को तोड़कर आठ हजार रूपये तथा कुछ सोने व चांदी के आभूषण चुरा ले गये।

थाना चिनहट में दिनांक 25.12.2017 को अज्ञात चोरों के विरूद्ध मु0अ0सं0 1052/2017 अंतर्गत धारा 457, 332 भा0दं0सं0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 457, 332 भा0दं0सं0 का लोप किया गया तथा धारा 395, 397, 412, 34 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त ने अपने प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है तथा सह–अभियुक्तों के बयानों में प्रार्थी का नाम प्रकाश में आया है। प्रश्नगत मुकदमे से संबंधित किसी भी सामान की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से नहीं हुयी है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा फर्द बरामदगी के समय जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं था। प्रार्थी सहअभियुक्तगण के साथ दिनांक 03.02.2018 को मु0अ0सं0 53/2018 अंतर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 थाना कृष्णानगर के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। अन्य मुकदमों की विवेचना के दौरान पुलिस कस्टडी में प्रार्थी तथा अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा कई मुकदमों के संबंध में स्वीकारोक्ति की गयी थी। उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को कस्टडी में लिया गया है। मु0अ0सं0 53/2018, अं0धारा 147,148,149,307,205,177,34 भा0दं0सं0 के प्रकरण में प्रार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 08.02.2021 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.02.2018 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैनें जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर आलमारी का ताला तोड़कर 8,000/– रूपये नकद व सोने–चांदी के जेवरात की डकैती की गयी तथा अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण की निशानदेही पर उनके कब्जे से डकैती से प्राप्त जेवरात बरामद किये गये हैं। अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर डकैती जैसे गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये इस स्तर पर न्यायालय की राय में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र उर्फ महेश** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–1052/2017 धारा– 395, 397, 412, 34 भा0दं0सं0 थाना–चिनहट, जनपद–लखनऊ, में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाक–18.08.2022

(सुरेश चन्द्र VI),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, लखनऊ।

Digitally signed by Suresh Chandra
Date: 2022.08.18 15:56:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court